हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

6 – 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम-2009

प्रिय पाठको, आप जानते हैं कि बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 – 14 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं इसकी जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। अत: इस अंक से हम आपको अधिनियम में निहित सभी सात अध्यायों की जानकारी दे रहे हैं। प्रथम तीन अध्याय आप इस अंक में पढ़ेंगे और शेष चार अध्याय 4 – 10 अगस्त, 2010 के अंक में पढ़ेंगे।

संख्या 35 सन् 2009 26 अगस्त, 2009

छह से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु एक अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित

अध्याय-1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा।

(3) यह केन्द्रीय सरकार के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से हटकर अपेक्षित न हो –

(ए) **'उपयुक्त सरकार'** से तात्पर्य–

1. केन्द्रीय सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है के द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से संबधित,

2. उपखंड 1. में विनिर्दिष्ट विद्यालय के अलावा –

क) किसी राज्य, राज्य सरकार के क्षेत्र में स्थापित स्कूल

ख) विधान सभा वाले किसी केन्द्र शासित क्षेत्र, केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के क्षेत्र में स्थापित स्कूल

(बी) **'कैपिटेशन फीस'** से तात्पर्य, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस के अतिरिक्त किसी प्रकार का दान या योगदान अथवा अदायगी;

(सी) **'बच्चा'** से तात्पर्य छह से चौदह वर्ष की आयु का कोई भी बालक या बालिका;

(डी) **'उपेक्षित वर्ग से संबंधित बच्चे से अभिप्राय'** ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हो या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारण के चलते उपेक्षित हो।

(ई) **'कमजोर वर्ग के बच्चे'** से अभिप्राय बच्चे का ऐसे माता–पिता या संरक्षक से संबंध जिसकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।

(एफ) **'प्रारंभिक शिक्षा'** से तात्पर्य पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा है:

(जी) किसी बच्चे के सबधं में **'संरक्षक'** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो बच्चे की देखरेख और अभिरक्षा करे इसमें नैसर्गिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी सम्मिलित है:

(एच) **स्थानीय प्राधिकरण'** से अभिप्राय, नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, इसमें विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला कोई प्राधिकरण या निकाय भी शामिल होगा या किसी प्रकार के कानून के तहत कुछ समय के लिए शक्तियां प्राप्त किसी भी नगर, शहर या गांव में कार्यशील स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हो सकता है।

(आई) **'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग'** से तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग।

(जे) **'अधिसूचना'** से अभिप्राय, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(के) **'माता पिता'** से अभिप्राय, किसी बालक के नैसर्गिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता से है;

(एल) **'निर्दिष्ट'** से अभिप्राय है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(एम) **'अनुसूची'** से अभिप्राय, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची।

(एन) **'विद्यालय'** से अभिप्राय, प्रारंभिक शिक्षा देने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है और इसमें सम्मिलित है;

(i) 'उपयुक्त सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्व या नियंत्रण में कोई भी विद्यालय;

(ii) 'उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधीकारी से अपने संपूर्ण अथवा आंशिक व्यय की पूर्ति के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

(iii) विशिष्ट श्रेणी से सम्बद्ध कोई विद्यालय;

(iv) 'उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय;

(ओ) **'चयन प्रक्रिया'** से अभिप्राय, दूसरों पर अधिमान देते हुऐ किसी बच्चे के प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया।

(पी) किसी विद्यालय के संबंध में 'विशिष्ट श्रेणी' से अभिप्राय, किसी भिन्न विशेषता वाला विद्यालय, जिसे उपयुक्त सरकार की अधिसूचना द्वारा विषेशता प्राप्त हो, जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई अन्य विद्यालय।

(क्यू) **'बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग'** से अभिप्राय, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के तहत गठित बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग।

अध्याय- 2

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चे का अधिकार–

(1) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के किसी भी विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, बच्चे को ऐसी किसी प्रकार की फीस या प्रभार या खर्चे का वहन करने की जरूरत नहीं जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोके।

साथ ही ऐसे बच्चे जो किसी अक्षमता से ग्रस्त हो जैसा कि नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (1) में परिभाषित है उन्हें अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. दाखिल न किए गए या प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान –

छह वर्ष से अधिक की आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है पर वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए उन्हें उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

परन्तु जहां किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में सीधे तौर पर प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे दूसरे बच्चों के बराबर लाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रविष्ट किया गया कोई बच्चा, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

5. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार –

1. जहां किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां बच्चों को धारा 2 के खंड (एन) के उपखण्ड (3) और (4) में बताए गए विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

2. जहां किसी बच्चे को किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की जरूरत है, वहां उसे किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (3) और (4) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

3. अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जिस स्कूल में उसका अन्तिम बार दाखिला हुआ हो उसके प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रभारी द्वारा बच्चे को तुरंन्त स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

परन्तु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए विलंब या प्रवेश से मना करने का कारण नहीं होगा।

साथ ही यह भी कि विद्यालय का प्रधान अघ्यापक या प्रभारी, स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के लिए उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-3

उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य

6. उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य –

अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर जहां विद्यालय नहीं है, उस क्षेत्र में या उसके आस पास जहां निर्धारित हो वहां विद्यालय की स्थापना करेंगे।

7. वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों की साझेदारी :-

1. केन्द्रीय और राज्य सरकार का इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तदायित्व होगा।

2. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय का आकलन लगाएगी।

3. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्ययों का निश्चित प्रतिशत प्रदान करेगी, जैसा वह, समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।

4. केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (डी) के तहत राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का आग्रह कर सकती है, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी निधियों का अंश प्रदान कर सके।

5. उपधारा (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी।

6. केन्द्रीय सरकार–

(क) धारा 29 के तहत निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय पाठयचर्चा का प्रारूप तैयार करेगी;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी;

(ग) नवीकरण, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

8. उपयुक्त सरकार के कर्तव्य – उपयुक्त सरकार–

(क) प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी:

परन्तु जहां किसी बच्चे को, उसके माता–पिता या संरक्षक द्वारा, उपयुक्त सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाया जाता है वहां ऐसा बच्चा या उसके माता–पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– 'अनिवार्य शिक्षा' से अभिप्राय उपयुक्त सरकार का दायित्व–

(i) छ: वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना; और

(ii) छ: वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य रूप से स्कूल प्रवेश, उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की सुनिश्चितता के दायित्व से है।

(ख) उपयुक्त सरकार धारा 6 मे निर्दिष्ट आसपास स्थित विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न हो तथा वह किसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वंचित न हों।

(घ) आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण एवं सीखने के उपकरण उपलब्ध करवाएगी।

(ङ) धारा 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी;

(च) प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और शिक्षा पूरी करना सुनिश्चत करेगी तथा मॉनीटरिंग भी करेगी;

(छ) अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों और मापदण्डों के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर गुणवता सुनिश्चित करेगी;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और अध्ययन के विषय को समय पर निर्धारित करना सुनिश्चित करेगी; और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करावाएगी ।

9. स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य– प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,–

(क) प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी:

परन्तु जहां किसी बच्चे को, उसके माता–पिता या संरक्षक द्वारा, उपयुक्त सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाया जाता है वहां ऐसा बच्चा या उसके माता–पिता या संरक्षण ऐसे अन्य विद्यालय में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(ख) उपयुक्त सरकार धारा 6 मे निर्दिष्ट आसपास स्थित विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न हो तथा वे किसी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वंचित न हों।

(घ) अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का रिकॉर्ड निंधारित ढंग से रखेगा;

(ङ) अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश, स्कूल में उपस्थिति और उसकी शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेगा और मॉनीटरिंग भी करेगा;

(च) संरचनात्मक व्यवस्था, जिसके अंर्तगत विद्यालय भवन, शिक्षकगण और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा;

(छ) धारा 4 मे निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ज) अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप बेहतर गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा;

(झ) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सुनियोजित तरीके से और अध्ययन के विषयों को समय पर निर्धारित करना सुनिश्चित करेगा;

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ट) प्रवासी परिवारों के बच्चों के स्कूल प्रवेश को सुनिश्चित करेगा;

(ठ) अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों के कामकाज को मॉनीटर करेगा;

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर तय करेगा।

10. माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य–

प्रत्येक माता–पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने बच्चे या आश्रित बच्चे का स्कूल में प्रवेश करे या करवाए।

11. उपयुक्त सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व स्कूल शिक्षा के लिए व्यवस्था करना–

तीन वर्ष से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने तथा सभी बच्चों को जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं करते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त सरकार आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी ताकि इन बच्चों को नि:शुल्क पूर्व स्कूल शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(अधिनियम का शेष भाग 4 – 10 अगस्त, 2010 के अंक में पढ़ें)

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां

हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर स्थित खण्ड धर्मपुर जिला सोलन के सात खण्डों में से एक है। इसकी सीमाएं विस्तृत रूप से फैली हुई हैं जो एक तरफ सिरमौर जिला तथा हरियाणा प्रदेश से लगती है तथा दूसरी ओर जिला मुख्यालय को छूती है। खण्ड मुख्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 16 कि.मी. की दूरी पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर पर्यटन नगरी कसौली से मात्र 11 कि.मी. दूरी पर स्थित है। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चण्डीगढ़ केवल 45 कि. मी. दूर है।

इस खण्ड में गढ़खल कसौली स्थित बाबा बालक नाथ, बृजेश्वर देवता तथा जटोली के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस खण्ड के परवाणू में ओधौगिक क्षेत्र फैला हुआ है जहां विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित है इस खण्ड में 180 पाठशालाएं हैं जिनमें 129 प्राथमिक पाठशालाएं, 23 माध्यमिक पाठशालाएं, 12 उच्च पाठशालाएं तथा 15 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त खण्ड धर्मपुर में 37 ग्राम पंचायते हैं और 3 केन्ट बोर्ड क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त 3 एन.आर.बी.सी. केन्द्र भी यहां कार्य कर रहे हैं। इस खण्ड में कुल 40 संकुल स्रोत समन्वयक केन्द्रों द्वारा सफलतापूर्वक सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों का सचांलन किया जा रहा है। इस खण्ड में 35 निजी पाठशालाएं, तीन निजी विश्वविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज तथा एक इंजिनियार कॉलेज और लगभग 150 साल पुरानी लॉरेन्स पाठशाला सनावर भी है।

इस खण्ड में सरकारी पाठशालाओं में 11402 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई का जिम्मा 668 शिक्षकों पर निर्भर है। वर्ष 2002-03 से 7 प्राथमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करके माध्यमिक का दर्जा दिया गया है।

खण्ड की विभिन्न पाठशालाओं में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2009-10 तक 99 नये कमरे, 8 संकुल स्रोत केन्द्र, 156 शौचालय, 31 चारदीवारी, 22 पेयजल सुविधा, 167 पाकशालाएं और 36 बाला फीचर दिए जा चुके हैं जिससे पाठशालाएं और भी आकर्षक हुई हैं।

खण्ड में 106 पाठशालाओं में विशेष बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण हेतु रैम्प लगाए गए हैं। सितम्बर 2004 से सभी प्राथमिक पाठशालाओं व जुलाई 2008 से सभी उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में दोपहर का सुतंलित भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

खण्ड की विभिन्न पाठशालाओं को 2002 से अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन मुरम्मत के लिए 77,56,000/-, स्कूल के फर्नीचर तथा अन्य सामग्री के रख–रखाव के लिए 47,38,000/- रुपये दिए जा चुके हैं। नयी स्तरोन्नत पाठशालाओं में शिक्षण अधिगम उपकरणों को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है तथा सभी अध्यापकों को पाठ्यचर्या में सहायक टी.एल.एम. हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

पाठशालाओं के रख–रखाव एवं सहायता के लिए समुदाय को हर सम्भव प्रशिक्षण एवं प्रेरित किया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप समुदाय द्वारा 63 पाठशालाओं में भूमि दान की गई, 52 पाठशालाओं में समुदाय द्वारा सहायक अध्यापक रखे गए हैं, 795 के लगभग बच्चों को वर्दियां उपलब्ध करवाई गईं, 27 पाठशालाओं में बच्चों के बैठने हेतु पाठशाला समिति द्वारा डेस्क उपलब्ध करवाये गए तथा इतनी ही पाठशालाओं में भोजन पकाने हेतु बर्तन उपलब्ध करवाये गए हैं।

शिक्षा खण्ड धर्मपुर-जिला सोलन

सर्व शिक्षा अभियान

खण्ड में गम्भीर रूप से विकलांग 19 बच्चों को भुज विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित 12 अध्यापक गृह आधारित शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। खण्ड में विभिन्न विकलांगताओं की जांच एवं निवारण के लिए अब तक 7 मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें विभिन्न सहायक उपकरण नि:शुल्क प्रदान किए गए हैं। इन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए हर वर्ष खेल एवं सांस्कृतिक समागम तथा भ्रमण का आयोजन किया जाता है।

सभी विद्यालयों द्वारा ग्रामीण शिक्षा पंजिकाएं बनाई गई हैं जिसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन पाठशाला समितियों के सहयोग से किया जाता है ताकि पाठशाला से बाहर बच्चों पर पैनी नजर रखी जा सके और सभी बच्चों का पाठशाला में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके ।

बालिकाओं के लिए योग शिक्षा, कराटे प्रशिक्षण एवं सिलाई कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है इनके लिए हर वर्ष शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी किया जाता है ।

सभी संकुल पाठशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा इनमें पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है ।

सभी पाठशालाओं में आधार एवं संवृद्धि आधारित शिक्षण दिया जा रहा है तथा सतत् समग्र मूल्यांकन किया जा रहा है । खण्ड में हर वर्ष संकुल एवं खण्ड स्तरीय मीना एवं बाल मेलों का आयोजन किया जाता है।

खण्ड की पाठशालाओं की विभिन्न स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है। जनवरी 2010 में दौरे पर आई संयुक्त समीक्षा मिशन (जे.आर.एम.) की टीम भी खण्ड की गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित हुई। खण्ड में कम्प्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 पाठशालाओं के विद्यार्थी शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं।

खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

–अनूप शर्मा,
बी.आर.सी.सी (उ.प्रा) धर्मपुर,
सोलन।

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:–

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001

प्रस्तुति : **ज्योति रावत**